न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि०न० –03 / 2020

अनवान : –

1. शेरसिह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।

– वादी

ब ना म

1. लालचन्द पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
2. वीरसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
4. रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
5. कलावती पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
6. मीरां पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
7. रोशनी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री विनोद पुनियां वकील वादी
श्री उम्मेद मोठसरा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 31-01-2021

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मुन्दड़िया छोटा के के वर्तमान खाता संख्या 107 / 102 के खसरा सं. 60 की 3.503 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है। रोही मौजा रामसरा के खाता संख्या 105 / 104 के खसरा सं. 58 / 1 की 0.088 हैक्टर, खसरा सं. 185 / 1 की 11.939 हैक्टर कुल किता 2 की 12.027 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा उदाराम की खातेदारी हुआ करती थी। उदाराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी लालचन्द के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी लालचन्द कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी लालचन्द अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी लालचन्द के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 7 एवं वादी ने न्यायालय मे

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी शेरसिह पुत्र लालचन्द जाति निवासी रामसरा तहसील भादरा के साक्षय करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही मौजा रामसरा सम्वत 2073—76 प्रदर्श—1, जमाबंदी मुन्दड़िया छोटा सम्वत 2074—77 प्रदर्श—2, जमाबंदी सम्वत 2008 रोही रामसरा प्रदर्श—3, जमाबंदी सम्वत 2007 रोही रामसरा प्रदर्श—4, जमाबंदी रोही रामसरा सम्वत 2015—15 प्रदर्श —5, रोही रामसरा जमाबंदी सम्वत 2015—18 प्रदर्श—6, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुन्दड़ियाबड़ा दिनांक 12.12.2019 प्रदर्श—7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रामसरा के खाता संख्या 105/104 के खसरा सं. 58/1 की 0.088 हैक्टर, खसरा सं. 185/1 की 11.939 हैक्टर कुल किता 2 की 12.027 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा रोही मौजा रामसरा के खाता संख्या 105/104 के खसरा सं. 58/1 की 0.088 हैक्टर, खसरा सं. 185/1 की 11.939 हैक्टर कुल किता 2 की 12.027 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 लालचन्द का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 7 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 2 ता 4 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 प्रत्येक 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारेठ)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –03/2020

अनवान : –

1. शेरसिह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।

– वादी

ब ना म

1. लालचन्द पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
2. वीरसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
4. रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
5. कलावती पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
6. मीरां पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
7. रोशनी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण उम्मेद मौठसरा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा रोही मौजा रामसरा के खाता संख्या 105/104 के खसरा सं. 58/1 की 0.088 हैक्टर, खसरा सं. 185/1 की 11.939 हैक्टर कुल किता 2 की 12.027 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि मे प्रतिवादी संख्या 01 लालचन्द का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 7 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 2 ता 4 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 प्रत्येक 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 15:58:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: